

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक:-एफ 7(198)परि/नियम/मु./2010/4077 जयपुर, दिनांक:- 20/2/2020

कार्यालय आदेश 02/2020

राजस्थान बाईक टैक्सी पॉलिसी, 2017 एवं रेन्ट ए बाईक स्कीम तथा स्वतंत्र रूप से दुपहिया वाहनों का प्रयोग परिवहन वाहनों के रूप में भी किया जा सकता है। इस संबंध में केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 50(2)(d) की पालना में विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश 02/2015 दिनांक 16.02.2015 में संशोधन किया जाकर उक्त आदेश के क्रम संख्या 2 पर वर्णित सारणी में गैर परिवहन एवं परिवहन श्रेणी के दुपहिया वाहनों हेतु निर्धारित पंजीयन सीरीज को मात्र गैर परिवहन दुपहिया वाहनों पर ही आवंटित किये जाने हेतु आरक्षित किया जाता है एवं परिवहन श्रेणी के दुपहिया वाहनों हेतु पृथक से निम्नानुसार पंजीयन सीरीज निर्धारित की जाती है:-

परिवहन श्रेणी के दुपहिया वाहनों के लिए पंजीयन सीरीज	XX, XY, XZ
---	------------

अतः निर्देशित किया जाता है कि पंजीकृत किए जाने वाले परिवहन श्रेणी के दुपहिया वाहनों को उपर्युल्लेखित पंजीयन सीरीज में ही पंजीयन क्रमांक आवंटित किया जाना सुनिश्चित करें। पंजीयन क्रमांक के अन्य Alpha-numeric नियमानुसार रहेंगे।

(आर.सी.यादव)

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

क्रमांक:-एफ 7(198)परि/नियम/मु./2010/4078-82 जयपुर, दिनांक:- 20/2/2020
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, जयपुर।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी....(समस्त)।
4. सिस्टम एनालिस्ट को वाहन सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान करने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपडेट करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)